न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
70/2022	23.05.2022	09.09.2022

//उनवान//

1 मोहरा पत्नी पतराम जाति मेघवाल निवासी टेहडका तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– वादिया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान (लैण्ड होल्डर)

–: प्रतिवादी

दावा:– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति:– 1 श्री गंगाराम पटेल– वकील वादनी

निर्णय

दिनांक– 09.09.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई वकील वादी उपस्थित आये वादनी के वाद का सारतः रहा कि आराजी खं0नं0 हाल 427/1.01 है0 वाके ग्राम टेहडका तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर वादनी को दिनांक 01.09.1975 को अलॉटमेंट की गई थी। मौके पर मिन वादनी काबिज होकर काश्त कर रही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। वादनी महिला है और पतराम की पत्नि है तथा वादनी का पति फौत हो गया है एवं वादनी का आधारकार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड में मोहरा पत्नि पतराम दर्ज है तथा विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते समय मोहरा पत्नि पतराम की जगह मौहरा पुत्र पतराम का अंकन कर दिया जो खिलाफ मौका, खिलाफ कानून किया जिस अंकन से मिन वादनी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है जबकि मिन वादनी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है का अंकन करते हुये वाद वादनी विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री फरमाया जाकर हाल आराजी ख0नं0 427/1.01 है0 वाके ग्राम टेहडका के राजस्व रिकॉर्ड में मोहरा पत्नि पतराम किये जाने के आदेश का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बादविधिवत तलबी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पैरोकार सरकर पेश हुआ जिसके मुताबिक वर्णित आराजी रिकॉर्ड स्तर तक स्वीकार है, वादिया स्वयं सिद्ध करे, कानूनन होकर न्यायालय क्षेत्राधिकार श्रीमान है आदि–आदि का अंकन करते हुये वर्णित आराजी वादि... आराजी का जरिये नामांतरकरण राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया ... राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद का कोई रिकॉर्ड संलग्न नहीं कि...

वादिया ने वादपत्र की ताईद में दस्तावे... 2072–2075 एवं छायाप्रति मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, ... दिनांक 01.9.1975, जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधारकार्ड की छायाप्रति... एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मोहरा पत्नि पतराम पी0डब्ल्यू–1, हीरासिंह पुत्र पतराम पी0डब्ल्यू–2 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी ने प्रकरण को निस्तारित किये जाने का निवेदन किया चूंकि प्रकरण नाम दुरूस्ती का होकर दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज के बाबत का पेश है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये वादिया को गरीब हरीजन महिला होने के कारण राजस्थान सरकार दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:46:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

01.09.1975 को उक्त विवादित आराजी आवण्टन की गई होना। आवण्टन से आज दिनांक तक लगातार मौके पर वादनी काबिज होकर काश्त कर रही होने का अभिकथन करते हुये उपरोक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार आधारकार्ड, मूलनिवास, जाति प्रमाणपत्र, परिवार राशन कार्ड आदि समस्त दस्तावेजात में मोहरा पत्नि पतराम के नाम का अंकन होना साथ ही आवण्टन आदेश दिनांक 01.09.1975 में भी मोहरा चमार पत्नि पतराम निवासी टेहडका तहसील मुण्डावर के नाम का अंकन होने का निवेदन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा मोहरा पत्नि पतराम की जगह मोहरा पुत्र पतराम का अंकन कर दिया जाना जो आज दिनांक तक चला आ रहा होने का निवेदन करते हुये उक्त किये गये अंकन को खिलाफ मौका, खिलाफ कानून किया जाना तथा उक्त अंकन से वादनी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है अवगत कराते हुये वादनी के वाद को विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर उक्त विवादित आराजियात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में मोहरा पुत्र पतराम की जगह मोहरा पत्नि पतराम के नाम अंकन किये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यान पूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया के हाल आराजी ख0नं0 427/1.01 है0 वाके ग्राम टेहडका तहसील मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादिया के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के मोहरा पुत्र पतराम के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं मोहरा पुत्र पतराम के स्थान पर मोहरा पत्नि पतराम नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाय गया।

09-09-2022

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर
(...)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:46:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
70/2022	23.05.2022	09.09.2022

//उनवान//

1 मोहरा पत्नी पतराम जाति मेघवाल निवासी टेहडका तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– वादिया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान (लैण्ड होल्डर)

–: प्रतिवादी

दावाः– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

–: पर्चा डिक्री :–

वादिया की ओर से एडवोकेट श्री गंगाराम पटेल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.09.2022 को पंकज बडगूजर सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

न्यायालय वादिया के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। विवादित हाल आराजी ख0नं0 427/1.01 है0 वाके ग्राम टेहडका तहसील मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादिया के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के मोहरा पुत्र पतराम के के हो रहे अंकन को नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं मोहरा पुत्र पतराम के स्थान पर मोहरा पत्नि पतराम नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.22 15:46:24 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

सहायक कलक्टर
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०